# कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, फतेहपुर।

पत्रांक : 1061 / 7–पं० / एस०बी०एम०(जी०) / 2017–18 / दिनांक 24/5/2018

समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
जनपद–फतेहपुर।

**विषय : राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोटपा अधिनियम–2003 के अनुपालन एवं तम्बाकू मुक्त परिसर बनाने हेतु दिशा निर्देश के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में आप अवगत हैं कि आपके जनपद में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत कोटपा अधिनियम–2003 को जनपद फतेहपुर में कड़ाई से लागू किये जाने हेतु निदेशक, उ0प्र0 वॉलन्टरी हेल्थ, एसोसिएशन गोमती नगर लखनऊ के पत्र संख्या–4 / 202 / 2018–4 / लूज / 2017 लखनऊ दिनांक 11 अप्रैल, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड के सभी ब्लाक स्तरीय कर्मचारियों को (World Health Organization) द्वारा प्रदत्त किया जाता है कि दिनांक 31 मई, 2018 को प्रदत्तथीम "Tobacco Breaks Hearts" विषय पर विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जायेगा तथा विकास खण्ड के समस्त कार्यालयों के सभी प्रवेश द्वारों पर सेक्शन 4 का साइनेज लगवाकर तम्बाकू मुक्त किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जन सामान्य को इस विषय पर जागरूक करें जिस प्रकार तम्बाकू देश की प्रगति बाधक है। विकास खण्ड के समस्त कार्यालयों को 31 मई, 2018 तक तम्बाकू मुक्त कार्यालय घोषित कर घोषणा पत्र 5 दिवसों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–घोषणा–पत्र।

(ए०के०निगम)
जिला पंचायत राज अधिकारी,
फतेहपुर।

पत्रांक : 1061 / 7–पं० / एस०बी०एम०(जी०) / 2017–18 / दिनांक 24/5/18

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, उ0प्र0 वॉलन्टरी हेल्थ, एसोसिएशन गोमती नगर लखनऊ के पत्र संख्या–4 / 202 / 2018–4 / लूज / 2017 लखनऊ दिनांक 11 अप्रैल, 2016 के क्रम में सूचनार्थ।
4. राज्य नोडल अधिकारी, राज्य तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम उ0प्र0।
5. नोडल अधिकारी, तम्बाकू नियत्रण फतेहपुर।
6. जिला विकास अधिकारी, जनपद–फतेहपुर।

जिला पंचायत राज अधिकारी,
फतेहपुर।